41–(08)–75–2019

पटना में दिनांक–05 मार्च, 2019 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	उद्योग विभाग	
1.	रंगरेज आर्टिजन विकास समिति को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने हेतु Memorandum of Association and Rules and Regulations की स्वीकृति के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	उद्योग विभाग	
2.	धुनिया आर्टिजन विकास समिति को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने हेतु Memorandum of Association and Rules and Regulations की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	उद्योग विभाग	
3.	दर्जी आर्टिजन विकास समिति को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने हेतु Memorandum of Association and Rules and Regulations की स्वीकृति के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
4.	"बिहार कर्मचारी चयन आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा–शर्त्तें) विनियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित)" में संशोधन संबंधी प्रस्ताव एवं तत्संबंधी अधिसूचना–प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
5.	लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के लिए सृजित पदों में से "उपमहानिदेशक" के सृजित एक पद को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर समान वेतनमान के "पुलिस उप महानिरीक्षक" का एक पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।	5. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
6.	बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) (प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	6. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
7.	बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 के नियम–4 का प्रतिस्थापन की स्वीकृति।	7. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा के गठन हेतु विभिन्न पदों के सृजन एवं पुनगर्ठन की स्वीकृति के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

9. पारिवारिक/पैतृक सम्पत्ति के बंटवारा विलेख के निबंधन में निबंधन शुल्क तालिका के अनुच्छेद संख्या–'I' के अंतर्गत प्रभार्य शुल्क की विमुक्ति के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

10. वित्तीय वर्ष–2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को संचालित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन मार्गदर्शिका–2018 के आलोक में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति। 10. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

11. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के अपस्ट्रीम में दायाँ तटबंध (एफलक्स बॉध) का सुरक्षात्मक कार्य (मेकाफेरी कन्सेप्ट) जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 8651.60 लाख (रूपये छियासी करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 11. **स्वीकृत।**

निर्वाचन विभाग

12. बिहार निर्वाचन सेवा के मूल पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करने तथा शत् प्रतिशत रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था हेतु बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन। 12. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–A प्राक्कलित राशि ₹12799.75 लाख और राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि ₹7046.943 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹19846.693 लाख (एक अरब अंठानवे करोड़ छियालीस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। 13. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. "बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि, 2019" की प्रशासनिक स्वीकृति। 14. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट (पुराना परिसर) के प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के क्रम में बहुद्देशीय भवन के निर्माण एवं पटना समाहरणालय भवन परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के क्रम में नये भवन के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि–22 के तहत् प्रभावी प्रतिबंध के, उपविधि–88 के तहत् शिथिलीकरण की स्वीकृति के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत गठित आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों के कृत्यों के निर्वहन हेतु 7,17,10,548/–(सात करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ अड़तालीस) रूपये का अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न प्रकार के कुल 147 (एक सौ सैंतालीस) पदों के सृजन के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. राज्य के नगर निकायों को सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु 1,33,92,04,212/–(एक अरब तैंतीस करोड़ बानवे लाख चार हजार दो सौ बारह) रूपये अनुमानित वार्षिक व्यय पर नगर निकायों के लिए पदों की संरचना के तहत विभिन्न स्तर के नगर निकायों एवं नगर निगमों के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दल के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कुल 5813 पदों के सृजन के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

18. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में तकनीकी कार्य बल बढ़ाने हेतु अस्थायी 555 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

19. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उपनियम (2) के खंड (ख) में संशोधन करने के संबंध में। 19. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

20. बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विश्लेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण हेतु वाणिज्य–कर विभाग अन्तर्गत संविदा के आधार पर कर विशेषज्ञ (Taxation Expert) के एक संविदा पद का सृजन एवं नियोजन करने के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

21. वाणिज्य–कर विभाग के लिए पूर्वी गार्डिनर रोड, पटना में रू० 40.00 करोड़ की प्राक्कलित राशि से कर भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 21. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

22. वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्तीय संस्थान निदेशालय को पुनर्गठित कर सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन करने तथा इसके संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में। — 22. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

23. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना में नवसृजित अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान को संचालित किये जाने के कारण बढ़ते कार्यबोझ के मद्देनजर विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में। — 23. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

24. राज्य के दो (2) जिलों यथा अरवल एवं भोजपुर में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 35 (पैंतीस) शैक्षणिक तथा 38 (अड़तीस) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 70 शैक्षणिक तथा 76 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 24. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

25. जहानाबाद जिला में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थान में 35 (पैंतीस) शैक्षणिक तथा 38 (अड़तीस) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 25. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

26. राज्य के पांच (5) जिलों यथा मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय एवं खगड़िया में नवस्वीकृत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 52 (बावन) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 320 शैक्षणिक तथा 260 गैर–शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 26. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

27. राज्य के सात (7) जिलों यथा शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चम्पारण, अररिया, औरंगाबाद एवं किशनगंज में नवस्वीकृत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 51 (इक्यावन) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 448 शैक्षणिक तथा 357 गैर–शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 27. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

28. राज्य के चार (4) जिलों यथा अरवल, सीवान, गोपालगंज एवं समस्तीपुर में नवस्वीकृत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 52 (बावन) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 256 शैक्षणिक तथा 208 गैर–शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

29. षोडश बिहार विधान सभा के द्वादश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 191वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

30. कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संकल्प (Skill Acquisition and Knowledge awareness for Livelihood Promotion- SANKALP) योजना की स्वीकृति तथा समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

31. विश्व बैंक संपोषित स्कीम Skill Strenghtening for Industrial value Enhancement (STRIVE) योजना की स्वीकृति तथा समय–समय पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

32. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित) के सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को MACPS 2010 के प्रावधान के आलोक में वित्तीय उन्नयन दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

33. राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भाँति दिनांक 01 जनवरी 1990 के प्रभाव से उन्हें समय–समय पर स्वीकृत दर के अनुरूप अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

34. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के सुगम संचालन हेतु अनुमानित लागत ₹5,32,01,544/–(पाँच करोड़ बत्तीस लाख एक हजार पॉच सौ चौवालीस रूपये) मात्र के व्यय पर 50 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 34. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

35. पथ प्रमंडल, बेतिया अंतर्गत नरकटियागंज–गौनाहा–मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम एवं रमपुरवा अशोक स्तंभ लिंक पथ के कि०मी० 0.00 से 25.173 कि०मी० (कुल–25.173 कि०मी०) तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5829.63 लाख (अन्ठावन करोड़ उनतीस लाख तिरसठ हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 35. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

36. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथ पर वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल स्टेशन के नजदीक स्थित LC No.-23B के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क उपरी पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण कार्य करने हेतु रेलवे से प्राप्त DPR की राशि ₹5809.31389 लाख (अनठावन करोड़ नौ लाख एक्कतीस हजार तीन सौ नवासी) में राज्यांश के रूप में ₹2904.66 लाख (उन्नतीस करोड़ चार लाख छियासठ हजार) मात्र की अनुमानित लागत राज्य योजना मद से वहन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 36. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

37. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के 01 (एक) पद के सृजन के संबंध में। 37. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

38. बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती नियमावली अधिसूचना संख्या–6208 (एस०) दिनांक 13.09.89 और समय–समय पर संशोधित को निरसित करते हुए बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II के अन्तर्गत सहायक अभियंताओं के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से मात्र वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों के आधार पर नियमित नियुक्ति करने हेतु "बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती नियमावली, 2019" बनाने तथा इसके बिहार राज्य के अन्य विभागों पर लागू होने के संबंध में। 38. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

39. केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर में Smart City योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति। — 39. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

40. रब्बी विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह 01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 500.00 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 40. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

41. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिनांक 01.04.1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त एवं रिट याचिका दायर करने की तिथि को कार्यरत कर्मियों को समाहरणालय के अन्तर्गत रिक्त पदों पर सरकारी सेवक के रूप में समायोजित किये जाने के संबंध में। — 41. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

42. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–8260/2012 शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–28.06.12 को पारित न्यायादेश एवं एम० जे०सी० संख्या–5269/2013 में दिनांक–07.01.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–639 दिनांक–16.03.2006 की कंडिका 2(3)(i) में निहित कार्यालयवार समायोजन के प्रावधान एवं कंडिका 2(4) को शिथिल करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में वर्ष 2006 में खलासी के रिक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध दिनांक–01.12.2006 से तत्समय अपुनरीक्षित वेतनमान 2550–3200 (यथा समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमान) में नियमितिकरण करते हुए विभागीय संकल्प सं०–707 दिनांक–22.05.18 में निहित प्रावधानों का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि यह एल०पी०ए० संख्या–1933/12 में दिनांक– 14.03.16 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध दायर होने वाले सिविल रिव्यु के फलाफल से प्रभावित होगा एवं इसे अन्य वादों के लिए पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा की स्वीकृति के संबंध में। — 42. स्वीकृत।

गृह विभाग

43. राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर महिला छेड़खानी रोकने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु Safe City Surveillance के लिए सर्वप्रथम पटना जिलें में (पटना रेल सहित) CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु स्वीकृत परियोजना को पटना स्मार्ट सिटी परियोजना में समाहित करने एवं उक्त स्वीकृत परियोजना की राशि ₹11067.56466 लाख (एक सौ दस करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार चार सौ छियासठ रू०) मात्र में से बेल्ट्रॉन के पी०एल० खाता में उपलब्ध शेष राशि ₹4936.00 लाख (उनचास करोड़ छत्तीस लाख रू०) मात्र सहित कुल राशि ₹11000.00 लाख (एक सौ दस करोड़ रू०) मात्र पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को उपलब्ध कराने तथा संयुक्त परियोजना की अतिरिक्त वृद्धित राशि का व्यय पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संभावित बचत राशि से करने तथा यदि शेष राशि की भरपायी संभावित बचत राशि से भी न हो सके तो अतिरिक्त राशि का व्यय आवश्यकतानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के राज्य योजना मद से किये जाने के संबंध में।

43. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

44. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

44. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

45. बक्सर जिलान्तर्गत अंचल–बक्सर के मौजा–महदह, थाना सं०–405, खाता सं०–848, खेसरा नं०–2422 में कुल–7.50 (साढ़े सात) एकड़ कृषि विभाग, बिहार की भूमि किस्म धनहर को अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

45. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

46. नालंदा जिलान्तर्गत "राजगीर मकर मेला" तथा पटना जिलान्तर्गत मोकामा अवस्थित "परशुराम महोत्सव मेला" को राजकीय मेला का दर्जा देने के संबंध में।

46. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

47. राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को वेतन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ यू०जी०सी० के वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार की वेतन विसंगति का निराकरण वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग को करने के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

47. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

48. मंत्रिपरिषद की दिनांक–25.02.2019 को हुई बैठक की मद संख्या–58 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1128 मदरसों एवं विभिन्न स्तर के मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए सप्तम वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति के निर्णय में नन मैट्रिक कर्मचारी, नन मैट्रिक शिक्षक एवं हाफिज के वेतन में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

48. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

49. बिहार कृषि अभियंत्रण सेवा के प्रोन्नति के पदों के लिए दिनांक–01/01/1996 से वेतनमान संशोधन के संबंध में।

49. **स्वीकृत।**